

आवश्यक

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:-प.6(9)शिक्षा-5/2010 पार्ट-II- 00483

जयपुर, दिनांक

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. आयुक्त, मिड-डे-मील कार्यक्रम, जयपुर।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर।
10. राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाईड, जयपुर।

(R) AAO नियम
5/4/24

विषय:- भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के संबंध में।

05 APR 2024

महोदय,

स/नि. एस. 10404

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 22.03.2024 को शासन सचिव महोदय द्वारा ली गई बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में लेख है कि आपके विभाग/अधीनस्थ विभाग के भौतिक सत्यापन के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये नियमानुसार मार्च, 2024 तक का भौतिक सत्यापन करवाकर शीघ्र प्रगति से अवगत करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

भवदीय,

(गोविन्द नारायण दाधीच)
शासन उप सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
6493655



Digitally signed by Govind Narayan
Dadhich
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.04.05 11:57:12 IST
Reason: Approved

उत्तर:- 1. निदेशक/अधीनस्थ/अधीनस्थ

दिनांक 0-4-24

1. निदेशक शिक्षा विभाग (अधीनस्थ)
2. निदेशक शिक्षा विभाग (अधीनस्थ)
3. निदेशक शिक्षा विभाग (अधीनस्थ)
4. निदेशक शिक्षा विभाग (अधीनस्थ)
5. निदेशक शिक्षा विभाग (अधीनस्थ)

निदेशक शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार